

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना नगर की वर्तमान विशेषताओं तथा विद्यमान एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहां तक सम्भव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधिसम्मत आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने के लिये किया जाना चाहिए। कोटा नगरीय क्षेत्र की भू-उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि अन्य सम्बन्धित नगरीय समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान हो सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है।

क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गई है। वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु लगभग 66,230 एकड़ विकसित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 30,340 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 45.81% है। कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 5.62% वाणिज्यिक, 7.37% औद्योगिक, 0.70% सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी, 6.75% आमोद-प्रमोद, 11.04% सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, 9.66 % हाईवे / अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र, 0.16% विशेष क्षेत्र तथा 12.89% परिसंचरण प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका संख्या 16 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या - 16

प्रस्तावित भू-उपयोग-कोटा-2031

क्र.सं.	विवरण	भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का %	नगरीकरण योग्य क्षेत्र का %
1	आवासीय	30,340.00	45.81	39.67
2	व्यावसायिक	3,720.00	5.62	4.66
3	औद्योगिक	4,880.00	7.37	6.38
4	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	465.00	0.70	0.61
5	आमोद-प्रमोद	4,470.00	6.75	5.84
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	7,310.00	11.04	9.56
7	हाईवे / अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र	6,400.00	9.66	8.37
8	विशेष क्षेत्र	110.00	0.16	0.14
9	परिसंचरण	8535.00	12.89	11.16
	कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र	66,230.00	100.00	86.59
10	जलाशय	4,410.00		5.76
11	कृषि एवं पौधशालाएँ	630.00		0.82
12	सरकारी आरक्षित	4,494.00		5.88
13	राख निस्तारण	726.00		0.95
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	76,490.00		100.00

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान

5.1 आवासीय :

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गयी है कि इससे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य-स्थलों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिये समय में कमी हो। युक्ति संगत आवासीय विकास, नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होगा एवं लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही प्रतिदिन की आवश्यकताओं हेतु सुविधाएँ एवं जनोपयोगी सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 21 लाख व्यक्तियों को बसाने के लिये वर्ष 2031 तक लगभग 30,340 एकड़ आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। औसत आवासीय घनत्व लगभग 69 व्यक्ति प्रति एकड़ होगा। नगर के भीतरी भाग एवं

कार्य केन्द्रों के समीप अपेक्षाकृत उच्च आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया है, ताकि अधिकतर लोग इसके समीप ही रह सकें। नगर परिधि क्षेत्र में कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गए हैं। कोटा के आवासीय क्षेत्रों के लिये कुल चार घनत्व श्रेणियां क्रमशः 50-100 व्यक्ति प्रति एकड़, 101-150 व्यक्ति प्रति एकड़, 151-200 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं 200 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक प्रस्तावित की गयी है। आवासीय क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल, अतिथिगृह, आंगनबाड़ी केन्द्र, पुलिस चौकी, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता पूर्ती के लिए जनउपयोगी सुविधाओ हेतु स्थल इत्यादि स्वीकृत किये जा सकेंगे। आवासीय योजनाएं तैयार करते समय इनफॉर्मल वाणिज्यिक हेतु स्थल प्रस्तावित किये जाते है इन स्थलो पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक सुविधाएं जैसे कि सरस बूथ, फल एवं सब्जी व्यवसाय, जूता, साईकिल एवं कपड़े इत्यादि की मरम्मत एवं रखरखाव इत्यादि गतिविधियों हेतु वाणिज्यिक भूखण्ड / दुकानों का आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे कि सड़क मार्गाधिकार में यह गतिविधियाँ अवैध रूप से विकसित ना हों।

5.1 (1) आवासन :

कुल अनुमानित 21 लाख जनसंख्या का वितरण छोटे-छोटे क्षेत्रों में किया जायेगा, जिनमें पदानुक्रम में सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान की जायेंगी। इस प्रकार 3000 से 5000 जनसंख्या की एक आवासीय योजना इकाई एवं 3-4 आवासीय योजना इकाईयों को मिलाकर 15-20 हजार जनसंख्या के आवासीय योजना क्षेत्र होंगे। ऐसे प्रत्येक योजना क्षेत्र को उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शोपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जायेगा। इस प्रकार एक से अधिक योजना क्षेत्रों को मिलाकर योजना जिला होगा, जिसकी जनसंख्या 75,000 से 1.5 लाख तक होगी, जिनमें स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएं, जैसे सामान्य महाविद्यालय, चिकित्सालय, उद्यान, खेल के मैदान, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सिनेमा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जायेंगी।

5.1 (2) इनफॉर्मल सेक्टर के लिये आवास :

आवास समुदाय की एक प्रमुख आवश्यकता है इसके अन्तर्गत सर्वाधिक भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर विकास न्यास और आवासन मण्डल भविष्य में आवश्यकतानुसार परियोजना तैयार करें और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध करावें। कार्य केन्द्रों के समीप कर्मचारियों और कमजोर आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये सामूहिक आवास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र की आवासीय परियोजनाओं व ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में भी टाउनशिप नीति के प्रावधान अनुसार कमजोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु भूखण्डों / मकानों का प्रावधान रखा जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इसका लाभ कमजोर / निम्न आय वर्ग के लोगों को मिले।

रीको द्वारा भी औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास परियोजना आरम्भ की जा सकती है ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों के रूप में बेतरतीब विकास को रोका जा सके। ग्रामीण सामूहिक आवास योजनाएँ, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा हाथ में ली जा सकती हैं।

5.1 (3) मिश्रित उपयोग :

मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर एकल गहराई अथवा सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुना तक (जो भी कम हो) में मिश्रित उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात् अनुज्ञेय होगा। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत खुदरा व्यावसायिक, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पम्प, मैरिज हॉल, सामुदायिक भवन, व्यायाम शाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ क्लिनिक/ डिस्पेंसरी, प्राथमिक विद्यालय, नर्सिंग होम (10 शय्या तक) व अन्य सुविधाएं देय होंगी।

5.1 (4) नगरीय नवीनीकरण/कच्ची बस्तियां :

नगर में अनियमित एवं अनियोजित ढंग से बसे हुए क्षेत्रों के लिये नवीनीकरण कार्यक्रम बनाये जाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये

भी संरक्षण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। नियमित कच्ची बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, ताकि इनमें आधारभूत सुविधाएँ जैसे कि पीने का पानी, सार्वजनिक शौचालय, बरसाती नालियाँ, सड़कों पर रोशनी इत्यादि का उचित प्रबन्ध किया जा सके। पुनर्वास उन क्षेत्रों का किया जायेगा, जो आवास के योग्य नहीं है। पुनर्विकास कार्य उन क्षेत्रों के लिये किया जायेगा जहाँ कच्ची बस्तियाँ नियमित हो चुकी हैं। कच्ची बस्ती क्षेत्रों के सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। कच्ची बस्ती क्षेत्रों के सुधार एवं उनके पुनर्विकास के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रमों एवं भारत सरकार के कार्यक्रमों जैसे- एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास योजना, राजीव आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना आदि के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। विस्थापन और पुनर्वास की समस्याओं पर एकीकृत दृष्टिकोण से विचार किया जाकर इस कार्य हेतु विस्तृत योजनाएँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी योजनाएँ बनाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि इनसे न्यूनतम विस्थापन हो।

5.2 वाणिज्यिक :

भौगोलिक विशेषताओं के कारण कोटा आसपास के क्षेत्रों के लिये विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। उत्पाद केन्द्र के रूप में विकसित होने के कारण यहां पर आर्थिक नियोजन की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, चम्बल सिंचित क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां कृषि आधारित वाणिज्यिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक लगभग 1,38,600 व्यक्ति अर्थात् कुल काम करने वालों का लगभग 22 प्रतिशत विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यशील होंगे। उक्त योजना बनाते समय भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुल वाणिज्यिक गतिविधियों के उचित वितरण का ध्यान रखा गया है ताकि ये अधिकाँश व्यक्तियों के लिये सुविधाजनक रहे। अतः विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र पदानुक्रम में विकसित किये जायेंगे ताकि विभिन्न स्तरों की

सुविधाएँ सुलभ हो सकें। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या 17 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या - 17
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण -कोटा-2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	शहरी केन्द्र	110
2	उप नगर केन्द्र (4)	380
3	जिला केन्द्र (9)	427
4	अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	1,350
5	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	1,016
6	भण्डारण एवं गोदाम	437
	योग	3,720

मास्टर प्लान में धानमण्डी, टिम्बर मार्केट, पत्थरमण्डी, फल एवं सब्जीमण्डी इत्यादि के लिये उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये गए हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र लगभग 3,720 एकड़ होगा, जो प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का लगभग 5.62% होगा।

उन सभी प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य सड़कों, जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं हो, उनसे लगती हुई भूमियों पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक विकास अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा। यह विकास एकल सम्पत्ति अथवा 100 फीट की गहराई, जो भी कम हो, में ही किया जा सकेगा। जहां जिस सड़क की वास्तविक चौड़ाई अथवा मार्गाधिकार, मास्टर प्लान में दर्शाये गए प्रस्तावित मार्गाधिकार से वर्तमान में कम है, वहां एकल सम्पत्ति की गहराई उतनी ही दूरी के लिये बढ़ जायेगी जितनी कि उस सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई सड़क के उस तरफ एवं उस भाग में मध्यरेखा से कम पड़ रही हो। एकल सम्पत्ति की यह बढी हुई गहराई जो कि सड़क के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है, यह अनियवार्य रूप से सेटबैक के साथ खुली छोड़ी जायेगी, जब तक की स्थानीय निकास सड़क के विकास अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेती है।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार छोड़कर ही वाणिज्यिक अनुमति दी जायेगी। वाणिज्यिक क्षेत्रों में मिश्रित भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे जिसके तहत वाणिज्यिक के साथ आवासीय, वाणिज्यिक से साथ होटल, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय, एन्टरटेनमेन्ट कॉम्प्लेक्स आदि उपयोग देय होंगे।

5.2 (1) शहरी केन्द्र :

परकोटे के भीतर के वाणिज्यिक क्षेत्रों ने क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र का दर्जा हासिल कर रखा है। आर्थिक गतिविधियों एवं ऐतिहासिक कारणों से यह भविष्य में भी केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। इस क्षेत्र में छोटा तालाब वाणिज्यिक क्षेत्र योजना अनुसार विकसित किया गया है, जिसमें थोक कपडा व्यापार, सराफा बाजार, जनरल मार्केट इत्यादि गतिविधियाँ परकोटे के भीतर के व्यस्ततम क्षेत्र से स्थानान्तरित किया जा चुका है। थोक फल एवं सब्जीमण्डी को डी.सी.एम. सड़क पर स्थित पुरानी धानमण्डी स्थल पर स्थानान्तरित किया जा चुका है। गत वर्षों में इस क्षेत्र के यातायात सुधार हेतु गुमानपुरा पुलिया का चौड़ाकरण, गुड़ वालों की गली को चौड़ा कर वहाँ पर दुकानों का पुनः स्थापन एवं पार्किंग स्थलों का विकास किया गया है।

इस क्षेत्र में से कुछ थोक व्यापार गतिविधियों जैसे कि थोक किराना व्यवसाय, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, टिम्बर मार्केट, इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि इस क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवाह बन्द हो एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। थोक किराना व्यापार को डी. सी.एम. रोड पर स्थित पुरानी धानमण्डी स्थल पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में स्थित ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी एवं गोदामों को परिवहन नगर हेतु प्रस्तावित स्थलों क्रमशः झालावाड़ सड़क पर ओल्ड बाईपास के समीप एवं बून्दीसड़क पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। टिम्बर मार्केट को भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी थोक व्यवसाय हेतु प्रस्तावित स्थलों क्रमशः साजीदेहड़ा नाले के पास, झालावाड़ सड़क पर बाईपास के समीप, बून्दी सड़क पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 (2) उप नगर केन्द्र :

हवाई अड्डा चौराहे के समीप विकसित वाणिज्यिक क्षेत्र ने उप नगर केन्द्र का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। यहां पर नगर का प्रमुख फर्नीचर मार्केट, रेडीमेड गारमेन्ट्स, मोटर मार्केट, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय एवं जनरल मर्चेट व्यवसाय, पेट्रोल पम्प, मल्टीप्लेक्स, उप मुख्य डाकघर, प्रमुख बैंक, होटल, सामुदायिक भवन इत्यादि विकसित हो गए हैं, फलस्वरूप यह नगर का प्रमुख उप नगर केन्द्र रहेगा। अतः इसके विस्तार हेतु इसके समीप ही स्थित हवाई अड्डे को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। हवाई अड्डा स्थल की केन्द्रीय स्थिति एवं बहुमूल्य भूमि को देखते हुए इसकी आंशिक भूमि पर व्यावसायिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस उप नगर केन्द्र का क्षेत्रफल लगभग 265 एकड़ है। इस उप नगर केन्द्र में स्थित थोक भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय जैसे कि लोहा, सीमेन्ट, चूना इत्यादि को इस हेतु झालावाड़ सड़क पर बाईपास के समीप एवं बून्दीसड़क पर प्रस्तावित स्थलों पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

इस क्षेत्र में स्थित ट्रान्सपोर्ट गतिविधियों एवं मोटर मार्केट को इस प्रयोजनार्थ झालावाड़ सड़क एवं बून्दी सड़क पर प्रस्तावित स्थलों पर पूरी तरह स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। फर्नीचर मार्केट को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इसी उप नगर केन्द्र से लगती हुई नई धानमण्डी स्थल पर नगर की थोक फल एवं सब्जीमण्डी स्थानान्तरित की जा चुकी है।

नगर के दक्षिण में विकसित हो रहे नये योजना क्षेत्रों के लिये रंगबाड़ी सड़क पर लगभग 48 एकड़ का उप नगर केन्द्र (बालाजी मार्केट) विकसित किया जा रहा है, जिसमें दुकाने, शोरूम, होटल, पेट्रोल पम्प, सिनेमा हॉल, सामुदायिक भवन एवं सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कार्यालय इत्यादि का प्रावधान रखा गया है। इस उप नगर केन्द्र में पेट्रोल पम्प एवं कुछ व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ हो चुकी है तथा नगर विकास न्यास द्वारा एक नगर स्तरीय ओडीटोरियम का निर्माण भी किया जा रहा है। बारां सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में दो स्थल जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 67 एकड़ है, पर उप नगर केन्द्र का प्रावधान रखा गया है। इस उप केन्द्र में पेट्रोल पम्प एवं कुछ वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो चुकी है

तथा नगर विकास न्यास द्वारा एक नगर स्तरीय ओडीटोरियम का निर्माण भी किया जा रहा है। इस प्रकार मास्टर प्लान 2031 में उपनगर केन्द्रों हेतु लगभग 380 एकड़ उप नगर केन्द्र का प्रावधान रखा गया है।

5.2 (3) जिला केन्द्र

शहरी केन्द्र एवं उप नगर केन्द्र में यातायात को कम करने की दृष्टि से एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु 7 योजना क्षेत्रों में 9 जिला केन्द्र प्रस्तावित किये गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 427 एकड़ है। जिला केन्द्र में खुदरा दुकाने, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक भवन, मनोरंजन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र, डाक एवं तारघर कार्यालय, पुलिस स्टेशन, खुले स्थल इत्यादि का प्रावधान रखा जायेगा। अतः जिला केन्द्र प्रत्येक योजना क्षेत्र के वाणिज्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। उम्मेद भवन योजना क्षेत्र पहले से ही विकसित क्षेत्र है। यहां पर रेलवे स्टेशन के समीप एवं नयापुरा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, होटल, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेन्ट, सामुदायिक भवन, डाक एवं तारघर, पुलिस स्टेशन इत्यादि विकसित हैं। अतः उम्मेद भवन योजना क्षेत्र में पृथक से जिला केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया गया है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित जिला केन्द्रों को तालिका संख्या 18 में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 18
प्रस्तावित जिला केन्द्र –कोटा–2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	बून्दी सड़क (दक्षिणी) जिला केन्द्र (2)	61.4
2	बून्दी सड़क (उत्तरी) जिला केन्द्र	32.8
3	बारों सड़क (उत्तरी) जिला केन्द्र (2)	66.8
4	बारों सड़क (दक्षिणी) जिला केन्द्र	42.0
5	दादाबाड़ी जिला केन्द्र	22.0
6	रंगबाड़ी जिला केन्द्र	92.7
7	रानपुर जिला केन्द्र	109.3
	योग	427.0

5.2 (4) अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र :

अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र प्रमुख सड़कों के सहारे विकसित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र एवं सुविधा दुकाने मुख्य सड़कों के सहारे एवं आवासीय योजनाओं में विकसित की जायेंगी। वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए रंगबाड़ी योजना क्षेत्र में मुख्य सड़कों के सहारे नियोजित रूप में वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। पुराने सामानों विशेषकर फर्नीचर एवं भवन निर्माण सम्बन्धित सामग्री हेतु वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

5.2 (5) विशिष्ट एवं थोक व्यापार :

चम्बल सिंचित क्षेत्र में स्थित होने एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण कोटा नगर में महत्वपूर्ण विशिष्ट श्रेणी की कृषि उपजमण्डी है। यह कृषि उपजमण्डी (भामाशाह मण्डी) इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ भूमि पर स्थित है, जिसके विस्तार हेतु मास्टर प्लान में मौजूदा मण्डी से लगती हुई दक्षिण में लगभग 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। नई थोक फल सब्जीमण्डी डी.सी.एम. सड़क पर नई धानमण्डी के स्थल पर स्थापित की जा चुकी है। चन्द्रेसल सड़क पर थोक फल एवं सब्जीमण्डी हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। बारों सड़क पर सेमकोर उद्योग के समीप भी थोक व्यापार / फल एवं सब्जीमण्डी हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है।

कोटा नगर लाल पत्थर (सैण्ड स्टोन) एवं कोटा स्टोन (फर्शी का हरा पत्थर) का महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र है। वर्तमान में नगर की मुख्य सड़कों के किनारे एवं खाली भूखण्डों पर छितरे रूप में सैण्ड स्टोन का भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है, जिससे नगर में भारी वाहनों की आवाजाही एवं यातायात पर अनावश्यक दबाव बना रहता है इन वाणिज्यिक गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने हेतु नगर के प्रस्तावित नये क्षेत्रों में भवन निर्माण सामग्री, जिसमें पत्थर मण्डी, टिम्बर मार्केट, लोहा मार्केट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्री के थोक भण्डारण एवं व्यापार हेतु बून्दी सड़क (दक्षिणी) योजना क्षेत्र में लगभग 240 एकड़ तथा शम्भूपुर ग्रोथ सेन्टर में 115 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है। इसी तरह नगर के दक्षिण में रंगबाड़ी योजना क्षेत्र में झालावाड़ रोड़ पर 105 एकड़ भूमि इस हेतु

प्रस्तावित है। महाराव भीमसिंह मार्ग पर लगभग 20 एकड़ भूमि लोहा मण्डी, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय हेतु प्रस्तावित है। इन्हीं क्षेत्रों में नगर के मध्य व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत लोहा व्यापार एवं टिम्बर मार्केट को भी स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार स्थलों को तालिका संख्या 19 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या - 19
प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार -कोटा-2031

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	धानमण्डी	इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में भामाशाह मण्डी	211
2	फल एवं सब्जीमण्डी	डी.सी.एम. रोड़ पर नई धानमण्डी स्थल एवं कैथून सड़क पर एवं चन्द्रेसल ग्राम के समीप	80
3	भवन निर्माण सामग्री	बून्दी सड़क पर ग्राम रामनगर में, झालावाड़ सड़क पर, अनन्तपुरा व प्रस्तावित बाईपास के पास एवं रानपुर योजना क्षेत्र में झालावाड़ सड़क पर, शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में	725
	योग		1016

5.2 (6) भण्डारण एवं गोदाम

नगर की बढ़ती हुयी वाणिज्यिक गतिविधियों के दृष्टिगत वांछित तादाद में वस्तुओं के भण्डारण की आवश्यकता हेतु मास्टर प्लान में भण्डारण एवं गोदाम के लिये भूमि आरक्षित की गयी है। वर्तमान में रेलवे कॉलोनी के समीप स्थित ऑयल डिपो के स्थल को यथावत् रखते हुए इसका विस्तार प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध भण्डारण एवं गोदाम स्थलों के अतिरिक्त झालावाड़ सड़क पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप लगभग 132 एकड़ एवं बून्दी सड़क पर रामनगर पत्थरमण्डी तथा प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल के समीप लगभग 63 एकड़ भूमि, बारां सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में बाईपास के समीप कैथून सड़क पर लगभग 35 एकड़ भूमि पर भण्डारण एवं गोदाम हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एवं रानपुर ग्रोथ सेन्टर में भी लगभग 78 व 59

एकड़ भूमि भण्डारण एवं गोदाम हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार भण्डारण एवं गोदाम हेतु कुल लगभग 437 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.3 औद्योगिक

राज्य में कोटा जिला औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका मुख्य कारण राज्य एवं देश के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों से कोटा का रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा होना तथा कोटा के आस पास खनिज संसाधनों का उपलब्ध होना है। यहां कृषि, पशुपालन एवं खनिज संसाधनों पर आधारित सहायक इकाईयों की स्थापना की भी संभावना है। कोटा नगर का औद्योगिक विकास मुख्यतया: दक्षिण पूर्व दिशा में हुआ है, जो कि वायु दिशा की दृष्टि से उचित है। कोटा नगर का अधिकांश औद्योगिक विकास 1960 से 1980 के मध्य में हुआ।

इस दौरान नगर में कई प्रमुख उद्योग, जैसे कि श्रीराम उद्योग समूह, जे.के. उद्योग समूह (वर्तमान में बन्द), इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., मल्टीमेटल्स इत्यादि प्रमुख उद्योगों की स्थापना हुई है। इसके उपरान्त वर्ष 1980 से 2000 के मध्य स्थापित उद्योगों में सोयाबीन प्लाण्ट एवं सेमकोर (वर्तमान में बन्द), प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कोटा के प्रभाव क्षेत्र में बारों सड़क पर चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स वृहद उद्योग एवं कृषि आधारित अन्य उद्योग स्थापित हुए हैं। इसका प्रभाव कोटा की अर्थव्यवस्था पर भी पड रहा है। वर्ष 1980 के उपरांत मुख्यतः कोटा नगर की खनिज सम्पदा (कोटा स्टोन) आधारित लघु एवं मध्यम उद्योग इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। यह अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2031 तक लगभग 1,35,450 व्यक्ति उद्योगों में कार्यरत रहेंगे, जो कि कुल कार्यशील व्यक्तियों का 21.50 प्रतिशत होगा। यह अपेक्षित है कि औद्योगिक क्षेत्रों/ईकाईयों की स्थापना करते समय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मानदण्डों की पालना की जावे एवं उचित हरित क्षेत्र विकसित किये जावे। वर्ष 2031 हेतु औद्योगिक गतिविधियों का विवरण तालिका संख्या 20 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या - 20
औद्योगिक गतिविधियों का विवरण -कोटा-2031

क्र. स.	उद्योग का प्रकार	काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या	काम करने वालों का प्रतिशत	प्रस्तावित नियोजित घनत्व प्रति (एकड़ में)	नियोजित क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	घरेलू उद्योग	13,545	10	-	-
2	वृहद् तथा लघु एवं मध्यम उद्योग	1,21,905	90	25-30	4,880
	योग	1,35,450	100	-	4,880

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र

कोटा नगर में निम्नानुसार औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गए हैं :-

(i) कन्सुआ औद्योगिक क्षेत्र

यह औद्योगिक क्षेत्र डी.सी.एम. सड़क पर स्थित है। इसमें श्रीराम उद्योग समूह, जे.के. उद्योग समूह (वर्तमान में बन्द), मल्टीमेटल्स लि. एवं रीको का औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित है। इस औद्योगिक क्षेत्र की समस्त भूमि आवंटित है, किन्तु स्थापित उद्योगों के पश्चात् भी उनमें काफी क्षेत्र अभी तक खाली पड़े हुए हैं, जो कि विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु उपयोग में आयेगा। पूर्व में जे.के. उद्योग समूह (वर्तमान में बन्द) के समीप स्थापित हुई गता उद्योग जो कि गत कई दशकों से बन्द थी पर आवासीय उपयोग की अनुज्ञा दिया जा कर राज्य सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जन सहभागिता से नगर के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1300 एकड़ है।

(ii) इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र

यह औद्योगिक क्षेत्र झालावाड़ सड़क एवं रेलवे लाईन के मध्य स्थित है। इसमें इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुखतया: कोटा स्टोन एवं कृषि आधारित इकाईयां चल रही हैं। आंशिक भाग

पर रीको द्वारा प्रमुख कोचिंग संस्थान एवं हॉस्टल हेतु अनुज्ञा दी गयी है। वर्तमान इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि सहित इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 1460 एकड़ है।

(iii) रानपुर औद्योगिक क्षेत्र

झालावाड़ सड़क के पश्चिम में रानपुर योजना क्षेत्र में स्थित ग्राम रानपुर में रीको द्वारा कुबेर औद्योगिक क्षेत्र, एग्रो फूड पार्क I एवं एग्रो फूड पार्क II विकसित किया जा चुका है एवं कुबेर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार प्रस्तावित है। रानपुर योजना क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि पर उद्योगों हेतु 700 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। यह औद्योगिक क्षेत्र कोटा नगर की औद्योगिक माँग की भी पूर्ति करेगा।

(iv) अन्य औद्योगिक क्षेत्र

गत दशक में रंगपुर सड़क पर स्थित गोपाल मिल एवं बारौ सड़क पर सेमकोर उद्योग (वर्तमान में बन्द) से लगती हुई देवली अरब सड़क पर कृषि आधारित उद्योगों के लिये पूर्व मास्टर प्लान में लगभग 200 एकड़ भूमि प्रस्तावित थी, जो कि अब नगरीय विस्तार एवं आवासीय विकास के बीच आ चुकी है अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक भू उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया है। चम्बल नदी के पश्चिम में थर्मल पाँवर प्लांट से निकलने वाली राख के उपयोग के दृष्टिगत डाबी सड़क पर फ्लाइएश आधारित उद्योगों हेतु लगभग 140 एकड़ भूमि का रीको पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में लगभग 78 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नगर दक्षिण में रानपुर के समीप भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था जो कि आंशिक रूप से विकसित है। इसके अतिरिक्त रावतभाटा सड़क पर तिलम संघ का सोयाबीन प्लांट एवं सरस डेयरी तथा स्टेशन क्षेत्र में रेलवे कॉलोनी के उत्तर में रेलवे वर्कशॉप स्थित है एवं डी.सी.एम. सड़क (कंसुआ) पर जे. के. उद्योग वर्तमान में बंद है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र तालिका संख्या 21 में दर्शाये गये हैं :-

तालिका संख्या - 21
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र -कोटा-2031

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	कन्सुआ औद्योगिक क्षेत्र	1,300
2	इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र	1,460
3	रानपुर औद्योगिक क्षेत्र	700
4	अन्य औद्योगिक क्षेत्र	1,420
	योग	4,880

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय

कोटा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान का सम्भागीय मुख्यालय होने के कारण यहां पर काफी संख्या में सरकारी कार्यालय हैं, साथ ही यहां रेलवे, चम्बल परियोजना इत्यादि के भी मुख्य कार्यालय हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2031 तक सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 15% अर्थात् लगभग 94,500 व्यक्ति कार्यरत् होंगे। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों हेतु 2031 की भावी आवश्यकताओं के लिये कुल 465 एकड़ भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित हैं।

अन्य सरकारी कार्यालयों हेतु रावतभाटा सड़क पर हवाई अड्डे की भूमि पर, बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एवं रानपुर योजना क्षेत्र में प्रस्तावित जिला केन्द्र के समीप सरकारी भूमि पर भी स्थल प्रस्तावित किये गए हैं। किराये के भवनों में चल रहे सरकारी भवनों को भी उक्त स्थलों पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा विद्यमान सरकारी कार्यालयों के परिसरों में भी कार्यालयों का विस्तार सम्भव है। इसके अतिरिक्त उप नगर केन्द्र एवं जिला केन्द्रों की विस्तृत योजना बनाते समय इनमें भी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों का प्रावधान रखा जा सकेगा।

5.4 (2) सरकारी आरक्षित

कोटा नगर में वर्तमान में रावतभाटा रोड़ पर आर.ए.सी. परिसर, बारौ सड़क पर नगर एवं ग्रामीण पुलिस लाईन तथा रेलवे लाईन एवं चम्बल नदी के बीच स्थित

सेना परिसर को, नगर के पश्चिम में ग्राम शम्भूपुरा के निकट डाबी सड़क पर सेना के लिए फायरिंग रेन्ज हेतु आरक्षित भूमि को यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में तथा रानपुर योजना क्षेत्र में सरकारी आरक्षित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार कुल 4494 एकड़ भूमि सरकारी आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित है।

5.5 आमोद-प्रमोद

नगर के निवासियों एवं पर्यटकों के मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद हेतु वर्तमान में मात्र 510 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है। अतः क्षितिज वर्ष 2031 तक आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर 3961 एकड़ भूमि अतिरिक्त प्रस्तावित की गयी है।

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

सार्वजनिक उद्यान एवं खुले स्थलों को सामान्य तौर पर नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है ये किसी सीमा तक नगर को सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है। स्थानीय स्तर के उद्यान एवं खुले स्थलों हेतु विस्तृत आवासीय योजनाएँ एवं सेक्टर प्लान बनाते समय प्रस्तावित जनसंख्या के आधार पर स्थल आरक्षित किये जायेंगे। यह प्रावधान मास्टर प्लान में अंकित नहीं किया गया है।

नदी, जलाशयों, नहरों इत्यादि के कारण कोटा में कई प्राकृतिक सुन्दर स्थल हैं। विभिन्न स्तरों की आमोद-प्रमोद सुविधाएँ प्रदान करने के लिये इनका पूर्ण लाभ लिया गया है। गत वर्षों में नगर विकास न्यास ने नगर के मध्य स्थित ऐतिहासिक छत्र विलास उद्यान, रंगबाड़ी बालाजी मन्दिर के आस-पास का जीर्ण-क्षीर्ण उद्यान, नेहरू उद्यान, गोपाल निवास बाग, नागा जी का बाग एवं कई स्थानीय पार्को में रखरखाव एवं योजना बद्ध विकास किया गया है। इसके

अतिरिक्त चम्बल उद्यान, गांधी उद्यान, यातायात उद्यान, भीतरिया कुण्ड इत्यादि का समुचित रख-रखाव एवं योजनाबद्ध विकास प्रस्तावित है।

नगर के दक्षिण में खड़े गणेशजी मन्दिर के पास नगर स्तर के गणेश उद्यान परिसर का विकास कार्य नगर विकास न्यास द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 100 एकड़ है। इसी स्थल पर मनोरंजन पार्क भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। झालावाड़ सड़क पर अनन्तपुरा तालाब एवं कर्णेश्वर महादेव के समीप भूमि की भौतिक एवं प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए नगर स्तर का खुला स्थल प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा चम्बल नदी के पश्चिम में बालिता सड़क एवं चम्बल नदी के मध्य नदी के किनारे लगभग 620 एकड़ भूमि पर उद्यान एवं खुला स्थल प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार योजना क्षेत्र “ब” में अभेड़ा तालाब के समीप उद्यान एवं खुला स्थल विकसित है। रेलवे लाईन के पूर्व में रंगतालाब के समीप इस क्षेत्र हेतु खुले स्थल का प्रावधान रखा गया है। शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में लगभग 108 एकड़ भूमि तथा रानपुर योजना क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि उद्यान एवं खुले स्थल हेतु प्रस्तावित है। बून्दी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में भी उद्यान एवं खुले स्थल का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त के अलावा रेलवे लाईन एवं ग्राम देवली अरब के मध्य पौधशाला एवं फलोद्यान हेतु वृहद स्थल आरक्षित किया गया है, जो कि नगर के खुले स्थल एवं हरित-पट्टी के रूप में कार्य करेगा।

नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मंडल एवं नगर निगम द्वारा विकसित योजनाओं में विभिन्न उद्यानों एवं खुले स्थलों का प्रावधान रखा गया है, किन्तु इन स्थलों पर वृक्षा-रोपण एवं रख-रखाव का अभाव है अतः इन स्थलों पर सधन वृक्षा-रोपण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कई स्थानों एवं खुले स्थलों हेतु आरक्षित स्थलों पर सामुदायिक एवं धार्मिक अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिस पर भी रोक लगाया जाना आवश्यक है।

5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान

वर्तमान में विकसित नगर स्तर के महाराव भीमसिंह स्टेडियम एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकसित छोटे स्टेडियम एवं खेल मैदान जैसे की दादाबाड़ी, तलवण्डी,

सकतपुरा, नांता एवं रेलवे कोलोनी के अतिरिक्त नगर के दक्षिण में गणेश उद्यान के समीप बाईपास के साथ नगर स्तर का स्टेडियम एवं खेल मैदान प्रस्तावित हैं। रंगबाड़ी योजना क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा श्रीनाथपुरम् योजना में नया स्टेडियम विकासरत् है।

मास्टर प्लान-2031 में रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं बारां सड़क उत्तरी व दक्षिणी योजना क्षेत्र में भी स्टेडियम एवं खेल मैदानों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर के रामपुरिया राजस्व ग्राम में 90 एकड़ का वृहद् क्षेत्र स्टेडियम एवं खेल मैदान हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा विस्तृत आवासीय योजनायें एवं सैक्टर प्लान तैयार करते समय क्षेत्रवार आवश्यकताओं हेतु खेल मैदानों का प्रावधान रखा जायेगा।

5.5 (3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

इसके अंतर्गत अर्द्धसार्वजनिक क्लब, तरणताल, मनोरंजन पार्क, विज्ञान पार्क, वॉटर पार्क इत्यादि आते है। कोटा नगर के छत्र-विलास उद्यान के मध्य ऐतिहासिक उम्मेद क्लब स्थित है एवं इसी क्षेत्र मे स्टेडियम के समीप नगर विकास न्यास द्वारा निर्मित तरणताल है। इस दौरान कैथून सड़क पर दक्षिणी बाईपास के समीप निजी क्षेत्र का क्लब स्थापित हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त नये विकसित किये जाने वाले उप नगर केन्द्र एवं जिला केन्द्रों में अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन हेतु स्थल आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

5.5 (4) मेले एवं पर्यटन सुविधायें

गत वर्षों में राज्य के पर्यटकों का रुझान कोटा नगर की ओर कुछ बढ़ा है। कोटा में पर्यटकों के आवागमन के लिए माह अगस्त से दिसम्बर तक का समय उचित है। यहां पर मुख्य आकर्षण बिन्दु प्राकृतिक तालाब व झरने, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल हैं, जहां पर्यटन विकास की अपार संभावनायें हैं।

कोटा नगर में प्रमुखतया: गढ़ पैलेस, संग्रहालय, छत्र विलास तालाब एवं उद्यान, जग-मंदिर, कोटा-बैराज, कन्सुआ मंदिर, चम्बल उद्यान, भीतरिया कुण्ड, अधरशिला, क्षार बाग, अभेड़ा महल एवं तालाब इत्यादि प्रमुख पर्यटन आकर्षण

के स्थल हैं। इसके अतिरिक्त कोटा सम्भाग एवं आसपास के क्षेत्र में सवाईमाधोपुर में बाध-अभ्यारण्य, रण थम्भौर किला एवं गणेश मन्दिर, बून्दी जिले में बून्दी नगर का सिटी पैलेस एवं भित्ती चित्र, रानी जी की बावड़ी, चौरासी खम्भों की छतरी एवं अन्य पर्यटन स्थल जैसे गोपरनाथ, चट्टानेश्वर, रामेश्वरम, मेनाल एवं भीमलत स्थित प्राकृतिक झरने, केशोरायपाटन में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मंदिर एवं धाट, रावतभाटा में ऐतिहासिक बाड़ोली मन्दिर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं बारौ जिले में सीताबाडी, भण्ड देवरा मन्दिर, शेरगढ़ अभ्यारण्य इत्यादि, कोटा जिले में दरा अभ्यारण्य जिसे मुकन्दरा हिल्स नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है तथा झालावाड़ जिले में ऐतिहासिक गागरोन किला, झालरापाटन में सूर्य मन्दिर, कोलवी की गुफायें, इत्यादि प्रमुख पर्यटन आकर्षण के स्थल हैं। उपरोक्त सभी स्थल कोटा नगर से लगभग 100-150 कि.मी. की परिधि में स्थित हैं, परन्तु उक्त स्थलों के उचित प्रचार एवं पर्यटन सुविधाओं के अभाव में कोटा नगर में पर्यटन का वांछित विकास नहीं हो पाया है, जिसे बढ़ावा देने हेतु विस्तृत पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिये। कोटा नगर में ऐतिहासिक दशहरा मेला भरता है। इस हेतु नगर के मध्य लगभग 80 एकड़ भूमि ऐतिहासिक मेला स्थल हेतु आरक्षित है। यहां पर ऐतिहासिक मेले के अतिरिक्त उद्योग मेला, पशु मेला एवं अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

वर्तमान में कोटा नगर में पर्यटकों हेतु सुविधाएँ बून्दी सड़क पर निजी विकास कर्ताओं द्वारा एवं नगर विकास न्यास द्वारा ऐतिहासिक अभेड़ा महल व तालाब के समीप विकसित की गई है तथा दक्षिण में न्यास द्वारा गणेश उद्यान परिसर में पर्यटन सुविधाओं हेतु भूमि विकासरत् है। विगत वर्षों में दशहरा मैदान की भूमि पर अतिक्रमण एवं अन्य निर्माण के कारण इसके क्षेत्रफल में कमी आई है, जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ इस खुले क्षेत्र की आवश्यकता अधिक हो गयी है। अतः भविष्य में इस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाये और दशहरा मैदान की भूमि पर अतिक्रमणों को हटाया जाना प्रस्तावित है।

कोटा में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनके अधिक समय रुकने एवं ठहराव को अधिक आरामदायक एवं यादगार बनाने के लिये निम्नलिखित सुधार एवं विकास के सुझाव दिये गये हैं –

1. पर्यटन स्थलों का कोटा नगर तथा कोटा नगर का अन्य नगरों, राज्यों एवं विदेशों से सड़क, हवाई एवं रेलमार्ग से अच्छी तरह जुड़ा होना आवश्यक है। अतः कोटा नगर में नया हवाई अड्डा विकसित किया जाना एवं नियमित हवाई सेवा प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।
2. रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं हवाई अड्डे पर पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।
3. पर्यटकों के आकर्षण की दृष्टि से प्रस्तावित पर्यटन सुविधा स्थलों पर कैम्पिंग ग्राउण्ड, अम्यूजमेन्ट पार्क, रिसोर्ट, वाटर पार्क, इत्यादि विकसित किये जा सकेंगे।
4. बड़े होटल मास्टर प्लान में प्रस्तावित उप नगर केन्द्रों में और जिला केन्द्र में स्थापित किये जा सकेंगे।
5. ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को सूचीबद्ध किया जाकर उनके संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग, जैसे नगर निगम, नगर विकास न्यास, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। पर्यटकों को सुरक्षित उचित पर्यटन माहौल प्रदान करने के लिये अलग से पर्यटन परिसर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।
6. कोटा नगर एवं नगर में स्थित पर्यटन स्थलों के आस-पास स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु साफ-सफाई की उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
7. विस्तृत पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है जो कि गतिविधियों एवं भौतिक स्वरूप के मध्य सामन्जस्य को ध्यान रखते हुए बनाया जाये।
8. कोटा को क्षेत्रीय पर्यटन के केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है अतः पर्यटन विभाग को अन्य विभागों एवं

यात्रा परिचारकों की मदद से ऐसा तंत्र बनाया जाना चाहिए जो पर्यटन विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य करे।

9. नगर वासियों में नगर के पर्यटन विकास हेतु सकारात्मकता एवं सहभागिता के विकास हेतु प्रचार/ प्रसार/ प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है।

पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएँ जैसे अम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, रिसोर्ट, केम्पिंग ग्राउण्ड, धर्मशालायें, मोटल, होटल, रेस्तरां, हैण्डीक्राफ्ट मार्केट, पार्किंग इत्यादि योजना में प्रस्तावित हाइवे/ अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्रों एवं उपनगर वाणिज्यिक केन्द्रों में विकसित की जा सकेंगी।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

नगर के एकीकृत विकास एवं नागरिकों की स्थानीय एवं प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न सार्वजनिक सुविधायें तथा श्मशान/कब्रिस्तान इत्यादि का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय विशेषताएँ , आवासीय घनत्व व भावी विस्तार की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विभिन्न स्तरों पर वितरण किया गया है। इन सुविधाओं हेतु मास्टर प्लान में कुल 7310 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6 (1) शैक्षणिक

कोटा नगर दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान का तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा हेतु प्रमुख केन्द्र है एवं भविष्य में भी शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। वर्ष 2031 की प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 22 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या - 22
प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना - कोटा - 2031

क्र. सं.	कक्षा स्तर	आयु वर्ग	आयु वर्ग में प्रति विद्यालय जाने योग्य बालक / बालिकाएँ	विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	5-10	3,05,000	90%	2,74,500	685	400
2	उच्च प्राथमिक (6-8)	11-13	2,12,500	85%	1,80,625	360	500
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	2,15,000	78%	1,67,700	419	400

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार के अनुमान।

प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताओं हेतु कैथून सड़क के दक्षिण में लगभग 1470 एकड़, बूंदी सड़क पर ग्राम नया खेड़ा के समीप लगभग 140 एकड़ एवं झालावाड़ सड़क के पूर्व में 102 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में भी शैक्षणिक उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालय भी रानपुर योजना क्षेत्र में प्रस्तावित है। बोरखेड़ा सड़क पर कृषि विश्वविद्यालय हेतु भूमि प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 4730 एकड़ भूमि शैक्षणिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी स्तर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों हेतु विस्तृत आवासीय योजनाएँ एवं सैक्टर प्लान तैयार करते समय स्थल आरक्षित किये जायेंगे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय अन्य शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थानों पर भी अनुज्ञेय होंगे।

5.6 (2) चिकित्सा

कोटा नगर स्थानीय जनसंख्या के अतिरिक्त, संभाग की जनसंख्या के लिए भी चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। इस दौरान कोटा में चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध 1000 विस्तर का अस्पताल अस्तित्व में आ चुका है, जहाँ पर विभिन्न विभाग आंशिक रूप से चिकित्सा सेवाएँ दे रहे हैं।

वर्तमान में विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं के लिए बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में ग्राम नान्ता एवं शम्भूपुरा में लगभग 124 एकड़ एवं बाराँ सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में लगभग 160 एकड़ भूमि चिकित्सा प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त बून्दी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र, रानपुर योजना क्षेत्र एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में चिकित्सीय सुविधाओं हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। अन्य योजना क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधा हेतु स्थल प्रास्तवित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 340 एकड़ भूमि चिकित्सा सेवाओं हेतु प्रस्तावित है।

उक्त भूमि पर आवश्यकतानुसार ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सालय विकसित किये जा सकेंगे। डिसपेन्सरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की योजनाएँ, विस्तृत आवासीय योजनाएँ एवं सेक्टर प्लान तैयार करते समय उनके अन्तर्गत प्रस्तावित की जायेगी। पशु चिकित्सालय हेतु उपलब्ध सुविधा के अतिरिक्त रावतभाटा सड़क पर लगभग 10 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6 (3) सामाजिक / सांस्कृतिक

मास्टर प्लान क्रियान्वयन के अन्तर्गत विस्तृत योजनाएँ बनाते समय आवासीय योजनाओं में सामाजिक / सांस्कृतिक भवनों के लिए भूमि आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (4) धार्मिक स्थल / ऐतिहासिक

कोटा में अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। आवासीय योजनाएँ बनाते समय धार्मिक स्थलों हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी। ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक क्षेत्रों

एवं अन्य ऐतिहासिक स्थलों / स्मारकों के रख रखाव के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधायें

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन, डाक एवं तार कार्यालय, दूरदर्शन, अग्निशमन केन्द्र, क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, धर्मशालाएँ, छात्रावास, छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधायें, नर्सिंग होम, सरकारी व्यायामशाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधायें इत्यादि विकसित की जा सकती हैं। कोटा नगर में विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं के अतिरिक्त वर्ष 2031 की आवश्यकताओं हेतु बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में अभेड़ा महल के समीप, बून्दी सड़क पर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में, उम्मेद भवन योजना क्षेत्र में, रंगबाड़ी सड़क योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाईपास के सहारे, दादाबाड़ी योजना क्षेत्र में झालावड़ सड़क पर, रानपुर योजना क्षेत्र में दक्षिणी बाईपास पर स्थल प्रस्तावित किये गये है। इस प्रकार कुल 760 एकड़ भूमि अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (6) जनोपयोगी सुविधायें

जल, सीवरेज, ड्रेनेज, एवं विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। उपयुक्त जल आपूर्ति के बिना कोई नगरीय क्षेत्र विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार पर्याप्त जल-मल निस्तारण व्यवस्था के अभाव में एक स्वस्थ नगरीय पर्यावरण विकसित नहीं किया जा सकता है।

5.6 (6) अ जल आपूर्ति

कोटा नगर चम्बल नदी के किनारे स्थित है एवं बैराज के कारण समीप ही बड़ा जलाशय है, अतः कोटा नगर में जल आपूर्ति हेतु पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है। कोटा नगर में वर्तमान जल आपूर्ति हेतु अकेलगढ़ में जल आपूर्ति केन्द्र स्थित है। चम्बल नदी के पश्चिम में स्थित नगर के भाग की जल आपूर्ति की बढ़ती

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा सकतपुरा में जल शोधन एवं आपूर्ति केन्द्र एवं पाईप लाइनों की वृहद परियोजना निर्माणरत् है। वर्तमान में नगर विकास न्यास द्वारा विकसित की जा रही नई योजनाएँ वर्तमान जल आपूर्ति केन्द्र अकेलगढ़ से अपेक्षाकृत काफी ऊँचे तल पर स्थित हैं, अतः वर्ष 2031 तक कोटा के भावी विस्तार के दृष्टिगत दक्षिण में ऊँचे तल पर प्रस्तावित नगरीय उपयोगों हेतु प्रस्तावित बाई पास सड़क के दक्षिण में चम्बल नदी के किनारे नया जल आपूर्ति केन्द्र प्रस्तावित है। पुराने नगर में बढ़ते हुए आबादी घनत्व के कारण कई स्थानों पर वर्तमान पाईप लाइन की क्षमता अपर्याप्त है एवं कई स्थानों पर पाईप लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अतः कोटा नगर में विद्यमान एवं भावी जनसंख्या के आंकलन के आधार पर सर्वेक्षण एवं अनुमान लगाकर इन पाईप लाइनों को बदलना आवश्यक है। इसके साथ ही अन्य नई विकसित योजनाओं हेतु वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर जलदाय विभाग द्वारा विस्तृत जलापूर्ति योजनाएँ तैयार कर विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नगर के विकास हेतु प्रस्तावित रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर के लिए पृथक से जलापूर्ति योजनाएँ तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (6) ब जल-मल निस्तारण व्यवस्था

राजस्थान के अन्य नगरों की भांति कोटा में भी अभी तक कोई नियोजित जल-मल निस्तारण व्यवस्था संचालित नहीं है। पुराने नगर में शुष्क शौचालय थे जिन्हे अधिकांशतः फ्लश लेट्रिन में परिवर्तित कर दिया गया है। नई योजनाओं में सेप्टिक टैंक युक्त फ्लश लेट्रिन हैं। नगर के आंशिक भाग में विद्यमान सीवेज व्यवस्था से बिना ट्रीटमेंट किये हुये सीवेज का सीधे ही सामुदायिक सेप्टिक टैंक, खुली भूमि अथवा नालों में निस्तारण हो रहा है।

विगत वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा नगर के अधिकांश भाग को सम्मिलित करते हुए समन्वित सीवेज योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में एशियन विकास बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण द्वारा नगर के उत्तरी भाग में सीवेज नेटवर्क विकसित किया गया है। वर्तमान में नगर विकास न्यास द्वारा

द्वितीय चरण में चम्बल नदी के दोनों किनारों पर स्थित नगर के भाग एवं आंशिक दक्षिणी भाग को एन.आर.सी.पी. योजना के तहत एवं नगर के शेष दक्षिणी भाग को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के तहत सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। नगर के दक्षिण में विकसित हो रही अधिकांश योजनायें चट्टानी भूमि पर स्थित हैं अतः इन योजनाओं में सीवर लाइन बिछाने का कार्य वर्तमान में भारी मशीनों की मदद से किया जा रहा है।

शहर में साजीदेहड़ा नाले के समीप किशोरपुरा दरवाजे के पास एवं ग्राम धाकड़खेड़ी के समीप 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं, जो कि अभी कार्यरत नहीं हुआ है। चम्बल नदी के पश्चिम में नगरीय विस्तार की आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम बालिता के निकट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य निर्माणरत है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से सीवेज का ट्रीटमेंट के उपरान्त ही निस्तारण किया जायेगा।

नगर के दक्षिण में विकसित हो रही अधिकांश योजनायें चट्टानी भूमि पर स्थित हैं अतः इन योजनाओं में सीवर लाइन बिछाने का कार्य वर्तमान में भारी मशीनों की मदद से किया जा रहा है, अतः यह वांछित है कि नये क्षेत्रों में योजनायें विकसित होने से पूर्व ही सीवर लाइन डाली जाए अन्यथा चट्टानी भूमि होने के कारण योजना विकसित होने के उपरान्त सीवर लाइन डालना तकनीकी दृष्टि से कठिन कार्य होगा। नगर के दक्षिण में स्थित ग्राम लखावा एवं रानपुर में प्रस्तावित नगरीय विकास की जल-मल निस्तारण हेतु ग्राम लखावा के दक्षिण में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के पश्चिम में जनोपयोगी सुविधाओं हेतु स्थल चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त बारां सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र के जल-मल निस्तारण हेतु ग्राम चन्देसल के निकट भूमि प्रस्तावित की गयी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले ट्रीटमेंट किये हुए जल के उपयोग हेतु समन्वित योजना तैयार की जानी चाहिए। अन्य सभी प्रकार के व्यर्थ जाने वाले जल के सिंचाई, बागवानी इत्यादि में उपयोग की योजना तैयार की जानी चाहिए।

5.6 (6) स ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

स्वच्छ वातावरण के लिये घृणोत्पादक पदार्थों के निस्तारण एवं इसके पुनर्उपयोग की उचित व्यवस्था आवश्यक है। सोलिड वेस्ट निस्तारण हेतु स्थलों का चयन नगर से दूर वायु की दिशा को देखते हुए किया जाना चाहिये। ईट भट्टों व खदानों की अनुपयुक्त भूमि, यदि उपलब्ध हो तो, इस प्रकार के कार्य के लिये उपयोग में ली जा सकती है। वर्तमान में कोटा नगर में घरों से कूड़ा करकट के संग्रहण हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है एवं लोगों द्वारा सड़कों पर ही कूड़ा डाला जाता है, जिसका समय पर निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण नगर में पर्यावरण प्रदूषण होता है।

अतः यह आवश्यक है कि घरों से निकलने वाले कूड़ा-करकट के संग्रहण हेतु उचित व्यवस्था की जाये, ताकि कचरा सड़कों पर नहीं रहे। साथ ही कूड़ा-करकट के संग्रहण एवं इसके निर्धारित स्थलों पर निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिये। वर्तमान में कोटा नगर में डाबी सड़क पर आबादी से दूर गड्ढों की नीची भूमि को सोलिड-वेस्ट डिस्पोजल हेतु चिन्हित किया गया है। नगर में वर्तमान एवं 2031 की भावी आवश्यकताओं के लिए उक्त स्थल पर्याप्त नहीं हैं। नगर का विकास अपने रेखीय विस्तार के स्वरूप को छोड़ अब चहुँओर हो रहा है। अतः विकास की सभी दिशाओं में निचले स्तर की भूमियों का चयन कर, उन्हें ठोस कचरा निस्तारण हेतु चिन्हित करना आवश्यक है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण उसी दिशा में किया जा सके एवं कचरा अनावश्यक रूप से नगर के मध्य से होकर नहीं ले जाना पड़े।

5.6 (6) द विद्युत आपूर्ति

नगर की जनसंख्या व आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग योजना को ध्यान में रखकर एक समन्वित योजना तैयार करना अपेक्षित है। मुख्य सड़कों, व्यवसायिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। प्रस्तावित भू उपयोग योजना में

प्रमुख बाह्य मार्ग के सहारे झालावाड़ सड़क पर एवं बून्दी सड़क पर चम्बल नदी के समीप, रानपुर ग्रोथ सेन्टर में, शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एवं चन्द्रेसल सड़क पर, विद्युत उप केन्द्रों/जल आपूर्ति केन्द्रों की स्थापना, जनोपयोगी सुविधाओं हेतु आरक्षित वृहद स्थलों में निर्मित की जा सकेगी। सब स्टेशन एवं छोटे स्तर के केन्द्रों हेतु सैक्टर प्लान एवं विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय स्थल आरक्षित किये जायेंगे।

5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर में स्थित श्मशान और कब्रिस्तानों को यथावत रखा गया है, परन्तु जो श्मशान ओर कब्रिस्तान नगर के विकसित भागों में स्थित हे उनमें चार दिवारी के साथ-साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वातावरण पर विपरित प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशान और कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से विद्युत चलित शवदाह गृह स्थापित किये जाने चाहिए एवं इनके प्रति आम जनता में जागरूकता हेतु उचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

5.7 हाईवे / अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना क्षेत्र

जयपुर - जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-12, पिण्डवाडा - शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (ईस्ट वेस्ट कोरिडोर का एक भाग), कोटा - लालसोट राज्य राजमार्ग-1ए तथा राज्य राजमार्ग-51 पर एवं इनके प्रस्तावित बाईपास मार्गों पर प्रस्तावित नगरीय भू-उपयोग सीमा के पश्चात् 1 किमी. की दूरी तक राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर की गहराई तक यह क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

यातायात के नियमों व मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया जावेगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सहारे नियंत्रित/नियोजित विकास सम्भव हो सके। आवश्यकता अनुरूप इस क्षेत्र की योजना भी प्रस्तावित की जा सकेगी। इस योजना क्षेत्र में निम्न भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे। किसी भी उपयोग को अनुज्ञेय किये जाने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों का ध्यान रखा जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा :-

- 1) ग्रीन बिल्डिंग/इको फ्रेंडली हाउसेज/फार्म हाउस
- 2) आई.टी.पार्क/बायोटेक पार्क
- 3) इंटिग्रेटेड आवासीय टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग
- 4) मोटल/रिसोर्ट/हॉलीडे कॉटेज रिसोर्ट/हेल्थ रिसोर्ट
- 5) एम्यूजमेन्ट पार्क
- 6) इंस्टीट्यूशनल/चिकित्सा/शैक्षणिक आदि
- 7) वेयर हाउसिंग/फूड स्टोरेज गोदाम
- 8) जनोपयोगी सुविधाएँ
- 9) फ्यूअल स्टेशन/पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन
- 10) ट्रांसपोर्टेशन
(ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक स्टैण्ड/टर्मिनल्स/बस टर्मिनल/हाईवे फेसेलिटीज)
- 11) कुटीर उद्योग
- 12) कृषि एवं डेयरी फार्म
- 13) ग्रामीण आबादी विस्तार एवं अनुसंधान उपयोग
- 14) अन्य उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय होंगे।

यह भू-उपयोग राजमार्गों के साथ-साथ नगरीय विकास के रेखीय स्वरूप को नियोजित तरीके से आत्मसात् करने में सहायक होगा। इस हेतु कुल 6400 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.8 विशेष क्षेत्र

बारौं सड़क पर सेमकोर उद्योग एवं रंगपुर सड़क पर गोपाल मिल काफी लम्बे समय से बंद हैं। इनके आसपास के क्षेत्र में आबादी बस चुकी है। अतः इनकी कुल 110 एकड़ भूमि के भू-उपयोग के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर जो भी निर्णय होगा, वह मास्टर प्लान भू-उपयोग का भाग माना जाएगा।

5.9 परिसंचरण

कोटा नगर सम्भागीय मुख्यालय है, जो कि संभाग के लिए न केवल एक प्रशासनिक एवं सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करेगा, अपितु व्यापार एवं व्यवसाय,

उद्योग तथा शैक्षणिक कार्यों का भी प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। अतः नगर के लिये यात्रा सेवाओं एवं वस्तुओं के यातायात में सुगमता होना आवश्यक है। अतः इस व्यवस्था के सुचारु संचालन एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर विकास न्यास द्वारा तैयार किये जा रहे कॉम्प्रिहेन्सिव मॉबिलिटी प्लान को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिया जाकर इसका चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

5.9 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

5.9 (1) अ सड़कों का मार्गाधिकार

वर्तमान में जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-12 एवं पिण्डवाडा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 नगर के मध्य से होकर गुजर रहे हैं एवं वर्तमान में इनके बाईपास निर्माणाधीन / प्रस्तावित हैं। बाईपास नहीं होने के कारण नगर के मध्य एकमात्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली स्टेशन सड़क पर स्थानीय यातायात एवं भारी यातायात का काफी दबाव है। फलस्वरूप नगर में यातायात, दुर्घटनायें एवं प्रदूषण संबंधित समस्यायें बहुतायत से उत्पन्न हो रही है। यह सड़क स्थानीय यातायात के लिए अपर्याप्त है। साथ ही सड़क के इर्द-गिर्द नगर की प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां होने के कारण इस सड़क से भारी यातायात ले जाना उचित नहीं है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-12 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के बाईपास हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाये।

गत वर्षों में उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु झालावाड सड़क को दक्षिण में नदी पार कर बून्दीसड़क से जोड़ते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग-12 का बाईपास का कार्य निर्माणाधीन है। उक्त बाईपास हेतु चम्बल नदी पर नया गाँव के समीप पुल का निर्माण कार्य जारी है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण से दक्षिण दिशा से आने वाला समस्त यातायात सीधे ही बून्दीसड़क की ओर निकल जायेगा एवं नगर में विद्यमान् स्टेशन सड़क को यातायात के वर्तमान् दबाव से राहत मिलेगी।

कोटा का प्रभाव क्षेत्र चम्बल सिंचित क्षेत्र में होने के कारण आसपास के क्षेत्रों जिसमें मुख्यतया: दाईं मुख्य नहर एवं बायीं मुख्य नहर से जुड़े क्षेत्र से कृषि

उत्पाद कोटा नगर के घने विकसित क्षेत्र से होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मण्डी (भामाशाह मण्डी) तक आता है। साथ ही बारौ सड़क जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-27 है, से भारी यातायात झालावाड़ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) की तरफ नगर के मध्य घने विकसित क्षेत्र से होकर गुजरता था। उक्त यातायात नगर की वर्तमान स्टेशन सड़क पर से गुजरने के कारण यहाँ पर यातायात की काफी समस्यायें थी। अतः बारौ सड़क से आने वाले कृषि उत्पादों के भारी यातायात को सीधे कृषि उपज मण्डी ले जाने एवं अन्य भारी यातायात को सीधे झालावाड़ सड़क पर ले जाने हेतु मास्टर प्लान में एक बाह्य सड़क निर्मित की गई है। यह बाह्य सड़क निर्मित होने से, जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग-12 का नगर के दक्षिण में प्रस्तावित बाईपास निर्मित नहीं होता है तब तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के रूप में भी कार्य कर रही है, जिससे नगर में यातायात समस्याओं से अस्थायी राहत मिली है।

नगर के मध्य स्थित स्टेशन सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए रेलवे लाईन के समानान्तर स्टेशन से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क निर्मित की गयी है। इस सड़क के निर्माण से नगर के उत्तरी व दक्षिणी भाग में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के बीच सीधा सम्पर्क उपलब्ध हो सका है, जिससे कि बारौ सड़क से आने वाला यातायात भी इस मार्ग का उपयोग कर सीधे दक्षिण में स्थित औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी तक जा सकता है। अतः इस उप प्रमुख सड़क के निर्माण से नगर के मध्य स्थित स्टेशन सड़क पर यातायात के दबाव में कमी आयी है।

पिण्डवाडा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) का वर्तमान अलाइनमेन्ट चम्बल नदी के पश्चिम में काफी घुमावदार एवं विकसित क्षेत्र के मध्य से होकर है। साथ ही इसका राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर मिलान बिन्दु चम्बल पुलिया के मुहाने पर लघु कोण के घुमाव पर है। अतः उक्त सड़क के अलाइमेन्ट में परिवर्तन करते हुए नगर विकास न्यास द्वारा ग्राम नान्ता के पश्चिम से सीधा ही बून्दी सड़क पर मिलाने का कार्य विकास रत् है। दक्षिणी बाईपास के पूर्णतया विकसित होने तक यह सड़क नगर के भारी यातायात समस्या में राहत प्रदान करेगी।

नयापुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के वर्तमान मार्ग पर स्थित चम्बल पुल के दोहरीकरण का कार्य निर्माणाधीन है। इस पुल पर से राज्य राजमार्ग-12 का समस्त भारी यातायात इस पुल पर से गुजरता है एवं नगरीय यातायात में बाधाएँ एवं रुकावटें उत्पन्न करता है। अतः यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोटड़ी चौराहे से बजरंग नगर को जोड़ने के लिए निर्माणरत् L-आकार के फ्लाईओवर का निर्माण भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

किशोरपुरा दरवाजा पुराने नगर एवं नये विकसित क्षेत्रों को जोड़ने वाला नगर कोट का एक महत्वपूर्ण दरवाजा है। यातायात को सुनियोजित करने हेतु किशोरपुरा सड़क से किशोरपुरा गेट के पश्चिम से गढ़ पैलेस तक 2 लेन एलिवेटेड सड़क बनायी गई है। साथ ही सूरजपोल दरवाजे के पास स्थित गुमानपुरा पुलिया के चौड़ाकरण का कार्य भी किया गया है। इससे पुराने नगर एवं नये विकसित क्षेत्रों के बीच आवागमन सुचारु हुआ है।

मास्टर प्लान-2031 में यातायात की समस्याओं के समाधान एवं नये सम्पर्कों के विकास तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु :-

1. बारौँ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) से आने वाला भारी यातायात सीधे ही नगर में प्रवेश किये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग-12 तक जा सके। इस हेतु नगर विकास न्यास द्वारा उत्तरी बाईपास प्रस्तावित है, जो कि बारौँ सड़क को केशोरायपाटन सड़क (राज्य राजमार्ग-1ए) पर जोड़ेगा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-12 से जुड़ा हुआ है। इस बाईपास का निर्माण शीघ्र किया जाना आवश्यक है।
2. बारौँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में स्थित चन्द्रेसल सड़क माला फाटक से रंग तालाब तक चौड़ाकरण का कार्य निर्माणाधीन है। ग्राम चन्द्रेसल के मध्य से यह सड़क काफी संकरी हो जाती है एवं रेलवे अण्डर पास भी भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहेगा। अतः इस सड़क को ग्राम चन्द्रेसल एवं उसके पार तक चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, जो कि उत्तरी बाईपास पर मिलाया जा सके।

3. कुन्हाड़ी, सकतपुरा स्थित आबादी क्षेत्र का पुराने शहर से सम्पर्क अधिकांशतः कोटा-बैराज की सेवा सड़क द्वारा होता है। कोटा-बैराज की सेवा सड़क यातायात की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहेगी। अतः कोटा-बैराज एवं चम्बल पुल के मध्य गढ़ पैलेस से कुन्हाड़ी को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल (निचले तल / उच्च तल) प्रस्तावित है।
3. नगर के यातायात के सुगम संचालन के लिए आवश्यक नगर में विभिन्न स्थलों विशेषकर रामपुरा बाजार, नयापुरा, भीमगंजमण्डी थाना, रेलवे स्टेशन, कोटड़ी-गुमानपुरा सड़क, छावनी चौराहा-गुमानपुरा सड़क, शॉपिंग सेन्टर एवं पुराने नगर में केथूनीपोल, पाटनपोल इत्यादि इलाकों में पार्किंग स्थलों के विकास की योजना एवं मानचित्र तैयार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि सड़कों के मार्गाधिकार में वाहन पार्क करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। नगर के सघन आबादी वाले इलाकों जहाँ पर पार्किंग स्थलों हेतु भूमि की उपलब्धता क्षीण है। वहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
4. बढ़ रहे दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों की संख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सुचारु एम.आर.टी.एस. / बी.आर.टी.एस. व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जन साधारण को कार्य स्थलों तक पहुंचना आसान हो। इन सेवाओं के लिए अवरोध रहित मार्ग चिन्हित किये जाने चाहिए, जिससे कि नगरीय यातायात में बाधा / रुकावट उत्पन्न न हो। नई योजनाओं के विकास की रूपरेखा बनाते हुए नगरीय बस यातायात हेतु बस स्टैण्ड भी विकसित किये जाने चाहिए।
5. स्थानीय निकायों में नगरीय यातायात विकास एवं इसके सुगम संचालन / प्रबन्धन / क्रियान्वयन हेतु पृथक विशेषज्ञ इकाई / प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
6. नगर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं इसके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। अतः नई विकसित की जा रही सभी योजनाओं में साईकिल गलियारों का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

7. कोटा के महा नगरीय स्वरूप एवं वृहत्त आकार को ध्यान में रखते हुए, एरोड्राम चौराहे को केन्द्र बिन्दु मानते हुए, दक्षिणी बाईपास एवं उत्तरी बाईपास से पूर्व एक अंदरूनी रिंग रोड का मार्ग प्रस्तावित है।
8. नगरीय यातायात के सुगम संचालन के लिए आवश्यक, चम्बल नदी पर स्थित कोटा बैराज की सर्विस सड़क के समानांतर 24 मीटर सड़क प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण हेतु चम्बल नदी पर उच्च स्तरीय पुल प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान में दर्शित प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कों के निर्माण एवं नगर विकास न्यास द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख एवं उप प्रमुख सड़कें विभिन्न कार्यक्षेत्रों को जोड़ेंगी, जबकि मुख्य सड़कें विभिन्न आवासीय एवं कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पर्क प्रदान करेंगी। अन्य सड़कें सेक्टर प्लान एवं विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय निर्धारित की जायेंगी। यथा सड़कों का मार्गाधिकार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रखा जायेगा। वर्ष 2031 हेतु विभिन्न सड़कों का मानक मार्गाधिकार तालिका संख्या 23 एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका संख्या 24 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या - 23
सड़कों का मानक मार्गाधिकार

क्र. सं.	श्रेणी	सड़क मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मुख्य बाह्य मार्ग	60
2	प्रमुख सड़कें	48
3	उप प्रमुख सड़कें	36
4	मुख्य सड़कें	24/30
5	अन्य मुख्य सड़कें	18
6	अन्य सड़कें	18 से कम

तालिका संख्या - 24

विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार - कोटा - 2031

क्र. संख्या	सड़कों का विवरण	प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग - 12, 27 एवं प्रस्तावित बाईपास	
अ	बून्दी सड़क - राष्ट्रीय राजमार्ग-12	
	(1) चम्बल ब्रिज से केशोरायपाटन सड़क तक	36 मीटर
	(2) केशोरायपाटन सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग - 12 जंक्शन तक	48 मीटर
	(3) राष्ट्रीय राजमार्ग - 12 जंक्शन से नगरीय सीमा तक	60 मीटर
ब	बारौं सड़क - राष्ट्रीय राजमार्ग-27	
	(1) अंटाघर चौराहे से 80 फुट सड़क जंक्शन तक	24 मीटर
	(2) 80 फुट सड़क मोड़ से बोरखेड़ा तिराहे तक	30 मीटर
	(3) बोरखेड़ा तिराहे से बाईपास सड़क तक	36 मीटर
	(4) बाईपास सड़क से नगरीय सीमा तक	60 मीटर
स	डाबी सड़क	
	(1) महाराणा प्रताप जंक्शन से थर्मल रेलवे लाईन क्रॉसिंग तक	30 मीटर
	(2) थर्मल रेलवे क्रॉसिंग से अभेड़ा सड़क मोड़ तक	36 मीटर
	(3) अभेड़ा सड़क मोड़ से नगरीय सीमा तक	60 मीटर
द	झालावाड़ सड़क	
	(1) अंटाघर चौराहा सड़क से दायीं मुख्य नहर तक	48 मीटर
	(2) दायीं मुख्य नहर से कोटड़ी चौराहे तक	30 मीटर
	(3) कोटड़ी चौराहा से छावनी जंक्शन तक	48 मीटर
	(4) छावनी जंक्शन से एरोड्राम चौराहा तक	24 मीटर
	(5) एरोड्राम सड़क से आई.पी.आई.ए. सड़क नं. 7 तक	48 मीटर
	(6) आई.पी.आई.ए. सड़क नं. 7 से नगरीय सीमा तक	60 मीटर
2	राज्य राजमार्ग 33 एवं 51	
अ	रावतभाटा सड़क (एस.एच. 33	
	(1) एरोड्राम चौराहे से सीएडी चौराहे तक	48 मीटर
	(2) सीएडी चौराहे से कोटा सरस डेयरी तक	36 मीटर

	(3) कोटा सरस डेयरी से दक्षिणी बाईपास तक	48 मीटर
	(4) दक्षिणी बाईपास से नगरीय सीमा तक	60 मीटर
ब	केशोरायपाटन सड़क (एस.एच. 33) मेगा हाईवे 1-ए	
	(1) एन.एच. 12 से बलार वितरिका (डिस्ट्रीब्यूटरी) तक	36 मीटर
	(2) बलार वितरिका से नगरीय सीमा तक	60 मीटर
स	रंगपुर सड़क	
	(1) रेलवे ओवर ब्रिज से रंगपुर तक	30 मीटर
द	कैथून सड़क (एस. एच.-51)	
	(1) रेलवे लाईन से कैथून तक	36 मीटर
3	प्रमुख मार्ग (सड़कें)	
	(1) एरोड्राम चौराहे से कंसुआं जंक्शन तक	48 मीटर
	(2) कंसुआं जंक्शन से डीसीएम चौराहे होते हुए, रायपुरा चौराहे तक	36 मीटर
	(3) रायपुरा चौराहे से बोरखेड़ा तिराहे तक	36 मीटर
	(4) देवली अरब ग्रामीण आबादी से पूर्व में मास्टर प्लान 36 मी. सड़क तक	36 मीटर
	(5) मास्टर प्लान 36 मीटर सड़क से बारां सड़क, सेक्रेट हार्ट के समीप तक	48 मीटर
	(6) महाराव भीमसिंह मार्ग - झालावाड़ सड़क से रावतभाटा सड़क तक	48 मीटर
	(7) विकास पथ - गोबरिया बावड़ी चौराहे से गणेश विद्यार्थी सर्किल से होते हुए रावतभाटा सड़क पर सरस डेयरी तक	48 मीटर
	(8) अनन्तपुरा से भामाशाह मण्डी रेलवे ओवर ब्रिज तक	48 मीटर
	(9) रेलवे ओवर ब्रिज भामाशाहमण्डी से डीसीएम चौराहे तक	36 मीटर
	(10) राष्ट्रीय राजमार्ग-12 से रानपुर आबादी तक	48 मीटर
4	उप प्रमुख सड़कें	
	(1) अभेड़ा मोड़ से स्टोन मण्डी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-12 तक	36 मीटर
	(2) चन्देसल सड़क-माला फाटक ओवर ब्रिज से रंग तालाब मोड़ तक	18 मीटर
	(3) रंग तालाब मोड़ से आबादी से पहले तक प्रस्तावित उत्तर दक्षिण मास्टर प्लान सड़क तक	36 मीटर
	(4) विकास पथ एवं एम.बी.एस. मार्ग के मध्य स्थित न्यास की योजनाओं में	36 मीटर

	विकसित / विकासरत् अन्य सड़कें (5) एन. एच.-12 से न्यास की लखावा आवासीय योजना तक (6) अन्य प्रस्तावित उप प्रमुख सड़कें	36 मीटर 36 मीटर
5	मुख्य सड़कें	
	(1) शास्त्री पार्क से स्टेशन सड़क हाट बाजार मोड़ तक (2) हाट बाजार सड़क मोड़ से नेहरू गार्डन होते हुए अंटाघर चौराहे तक (3) नेहरू गार्डन जंक्शन से कलेक्ट्रेट चौराहे तक (4) बड़ तिराहे से तालाब के सहारे गीता भवन तक (5) गीता भवन से तालाब के सहारे कोटड़ी चौराहे तक (6) नाग-नागिन मन्दिर से बजरंग नगर होते हुए एस.पी. चौराहे तक (7) बारां सड़क पर रेलवे लाईन के सहारे संजय नगर होते हुए डकनिया रेलवे स्टेशन तक (8) एन. एच.-2 से बालिता सड़क पर नहर तक (9) बालिता सड़क नहर से बालिता तक (10) देवली अरब सड़क से स्प्रिंग डेल्स स्कूल व प्रस्तावित शैक्षणिक भूउपयोग के साथ साथ नहर तक प्रस्तावित सड़क। (11) अन्य प्रस्तावित मुख्य सड़कें	48 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 24 मीटर 30 मीटर 24 मीटर 24 मीटर 18 मीटर 24 मीटर 24 मीटर 30/24 मीटर
6	उप मुख्य सड़कें	
	(1) बोरखेड़ा पुलिया की पूर्व दिशा में नहर के साथ-साथ उत्तर की ओर जाने वाली सड़क रेलवे हॉस्पिटल तक (2) बारां सड़क के दक्षिण में प्रस्तावित सेक्टर प्लान सड़कें (3) बारां सड़क के दक्षिण में प्रस्तावित सेक्टर प्लान में विकसित क्षेत्र के मध्य (देवली अरब सड़क से नहर के सहारे सहारे प्रस्तावित सड़कें) (4) बालिता सड़क व केशोरायपाटन के मध्य प्रस्तावित सेक्टर प्लान सड़कें (5) केशोरायपाटन सड़क व रेलवे लाईन के मध्य मार्इनर के सहारे प्रस्तावित सड़कें (6) अन्य प्रस्तावित उप मुख्य सड़कें	18 मीटर 18 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 12 मीटर 18 मीटर

उपरोक्त मापदण्ड न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। जहाँ मौके पर अधिक सड़क चौड़ाई उपलब्ध / अनुमोदित हैं, वहाँ पर मार्गाधिकार कम नहीं किया जायेगा।

5.9 (1) ब सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भूमि उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहां तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु नगर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा नगर के बीच सड़कें चौड़ी किया जाना सम्भव नहीं है या सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-12 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-27 का वह भाग जो वर्तमान में नगर के मध्य से होकर गुजरता है। बाईपास बनने के पश्चात् उपलब्ध मार्गाधिकार अनुसार उप प्रमुख / मुख्य सड़क के रूप में नियमित किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य भू-उपयोग में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों। जहां तक आवश्यक हो, नगर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनाएं बनाकर उनके अनुरूप ही विकास कार्य किये जाने चाहिए।

राजमार्ग एवं प्रमुख बाह्य मार्ग, जिनका मार्गाधिकार 200 फीट व 160 फीट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी निर्धारित किया जावे, के दोनों ओर सड़क के मध्य से 70 फीट / 60 फीट मार्गाधिकार के अनुपातिक दूरी रखते हुए, क्रमशः 16 फीट या 12 फीट चौड़ी सर्विस सड़क रखी जावेगी। इस सर्विस सड़क के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हरियाली के लिये क्रमशः 14 फीट / 8 फीट अथवा मार्गाधिकार की समुचित चौड़ाई के अनुपात में अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ा जायेगा।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित मुख्य एवं इससे अधिक चौड़ी सड़को के मार्गाधिकार में पर्याप्त परिमाण की सर्विस डक्ट का प्रावधान आवश्यक रूप से रखा जाना

प्रस्तावित है, जिससे कि समस्त प्रकार की सर्विस लाईनो के लिए भविष्य में सड़को की टूट-फूट न हो।

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राजमार्गों / बाईपास के सहारे सभी विकासकर्ताओं द्वारा उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी सघन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों व दक्षिण में रानपुर ग्रोथ सेन्टर को जोड़ने वाली उप प्रमुख सड़क के दोनों ओर 500 मीटर की गहराई तक प्रस्तावित नगरीय भू-उपयोगों की सीमा के पश्चात् हाईवे/अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तत्पश्चात् परिधी नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में समस्त अनुज्ञेय विकास स्वीकृत किये जा सकेंगे।

5.9 (1) स चौराहों का सुधार

राष्ट्रीय राजमार्ग-12, राष्ट्रीय राजमार्ग-27 एवं मेगा हाईवे-1ए, राज्य राजमार्ग-33 तथा राज्य राजमार्ग-51 नगर के मध्य से गुजरने से विभिन्न चौराहों पर नगरी यातायात एवं भारी यातायात का अतिरिक्त दबाव रहता है, जिनमें एरोझाम चौराहा, कोटड़ी चौराहा, अण्टाघर चौराहा, नयापुरा चौराहा, आई. एल. चौराहा, घोड़े वाला बाबा चौराहा, सी.ए.डी. चौराहा, गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहा, रायपुरा चौराहा, डी.सी.एम. चौराहा इत्यादि प्रमुख हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त रंगबाड़ी सड़क पर केशवपुरा चौराहा, महावीर नगर चौराहा इत्यादि पर भी यातायात की समस्या रहती है।

हालांकि राजमार्गों के बाईपास निर्माण से नगर में भारी यातायात प्रवेश निषेध होगा एवं नगरीय यातायात सुचारु हो सकेगा। परन्तु दिनों-दिन बढ़ रहे वाहनों की संख्या के कारण नगरीय यातायात प्रबंधन एक चुनौती होगा। अतः नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों की कार्य योजना तैयार कर नियोजित तरीके से चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नये विकसित होने वाले क्षेत्रों में पहले से ही विभिन्न चौराहों की कार्ययोजना तैयार कर चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है ताकि भविष्य में यातायात की समस्या उत्पन्न न हों।

5.9 (1) द पार्किंग व्यवस्था

नगर के व्यस्त क्षेत्रों, परकोटा नगर, छोटा तालाब क्षेत्र, गुमानपुरा, शोपिंग सेन्टर, मोटर मार्केट, रंगबाड़ी सड़क, रेलवे स्टेशन के समीप इत्यादि जगहों पर पार्किंग का उचित प्रावधान नहीं है। इन क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त नगर में बिना उचित पार्किंग प्रावधान छोड़े व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं, जिसके कारण पार्किंग की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। अतः उक्त स्थलों पर उचित पार्किंग स्थल विकसित किया जाना अति आवश्यक है।

नगर के यातायात के सुगम संचालन के लिए आवश्यक नगर में विभिन्न स्थलों विशेषकर रामपुरा बाजार, नयापुरा, भीमगंजमण्डी थाना, रेलवे स्टेशन, कोटड़ी-गुमानपुरा सड़क, छावनी चौराहा-गुमानपुरा सड़क, शॉपिंग सेन्टर एवं पुराने नगर में केथूनीपोल, पाटनपोल इत्यादि इलाकों में पार्किंग स्थलों के विकास की योजना एवं मानचित्र तैयार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि सड़कों के मार्गाधिकार में वाहन पार्क करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। नगर के सघन आबादी वाले इलाकों जहाँ पर पार्किंग स्थलों हेतु भूमि की उपलब्धता क्षीण है, वहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली विभिन्न निर्माण स्वीकृतियों जैसे कि बहुमंजिले आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर इत्यादि में पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जावे।

5.9 (2) बस तथा ट्रक टर्मिनल

1. परिवहन नगर

झालावाड़ सड़क पर 200 फीट चौड़ी रिंग रोड़ पर अनन्तपुरा योजना के समीप परिवहन नगर, नगर विकास न्यास द्वारा विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर नगर के मध्य डी.सी.एम. सड़क, पुराना नगर क्षेत्र इत्यादि स्थलों से ट्रान्सपोर्ट गतिविधियों को आंशिक रूप से स्थानान्तरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2031 तक की भावी आवश्यकताओं के लिये झालावाड़ सड़क पर प्रस्तावित बाईपास, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी के समीप

168 एकड़ भूमि पर परिवहन नगर हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। चम्बल नदी के पश्चिम में पत्थर मण्डी सम्बन्धित गतिविधियों को देखते हुए एवं इस क्षेत्र में विकसित फ्लाईऐश उद्योग एवं कृषिगत उत्पादों के आवागमन के दृष्टिगत बून्दी सड़क पर लगभग 295 एकड़ भूमि परिवहन नगर के लिए प्रस्तावित की गई है। साथ ही शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में भी लगभग 21 एकड़ भूमि परिवहन नगर / ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित है।

2. सार्वजनिक बस सेवा

प्रस्तावित सड़क संरचना काफी हद तक यातायात स्थिति के सुधार में सहायक होगी। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को कार्य केन्द्रों से सार्वजनिक परिवहन तन्त्र द्वारा जोड़कर नगर की यातायात सम्बन्धित समस्याओं को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। बढ़ रहे दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों की संख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सुचारु नगर बस सेवा / एम.आर.टी.एस. / बी.आर.टी.एस. की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जन साधारण को कार्य स्थलों तक पहुंचना आसान हो।

अतः विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए नगर बस सेवा विकसित की जानी चाहिए। इन सेवाओं के लिए अवरोध रहित मार्ग चिन्हित किये जाने चाहिए, जिससे कि नगरीय यातायात में बाधा / रुकावट उत्पन्न न हो। नई योजनाओं के विकास की रूपरेखा बनाते हुए नगरीय बस यातायात हेतु बस स्टैण्ड भी विकसित किये जाने चाहिए।

3. बस अड्डा

विद्यमान बस अड्डे के पहुंच मार्ग पर चम्बल पुलिया से तेज घुमाव होने के कारण यहां पर यातायात समस्याएँ पैदा होती हैं, साथ ही उक्त भूमि पर बस अड्डा के विस्तार हेतु भी और भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने हेतु मास्टर प्लान में डी.सी.एम. सड़क पर प्रस्तावित स्थल पर नगर विकास न्यास की लगभग 3 एकड़ भूमि पर नया बस अड्डा निर्माणरत् है। इसके अतिरिक्त नगर के दक्षिण में विकसित नये क्षेत्र की सुविधा के

दृष्टिगत महाराव भीमसिंह मार्ग पर झालावाड़ सड़क के समीप लगभग 15 एकड़ भूमि बस अड्डा स्थल हेतु आरक्षित की गई है। साथ ही रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में दो स्थलों पर कुल लगभग 38 एकड़ भूमि पर बस अड्डे प्रस्तावित किये गये हैं।

5.9 (3) रेल व हवाई सेवा

1. रेलवे

वर्तमान रेलवे स्टेशन कोटा नगर के उत्तर में स्थित है, जबकि कोटा नगर का अधिकांश विस्तार नगर के दक्षिण में हुआ है। इससे उत्तर-दक्षिण दूरी लगभग 25 कि.मी. तक हो गई है। अतः यह प्रस्तावित है कि नगर के दक्षिण में डकनिया रेलवे स्टेशन को यात्रियों एवं माल की सुविधा की दृष्टि से विकसित किया जावे एवं यहां पर एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव किया जाये। कतिपय तकनीकी कारणों से यदि डकनिया रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव ना हो, तो वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डाढ़देवी रेलवे स्टेशन अथवा अन्य कहीं इस तरह की संभावना तलाशा जाना आवश्यक है। साथ ही रेलवे लाईन के सहारे स्थित रेलवे सीमा/सम्पत्ति में वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना आवश्यक है, ताकि रेलमार्ग से नगर में प्रवेश करते समय अच्छा दृश्य प्रस्तुत हो। वर्तमान स्थित समपार फाटकों पर भविष्य में सड़क यातायात को बेहतर तरीके से नियंत्रण करने के लिए समपार फाटकों को बंद करके रेलवे ओवर ब्रिज बनाने चाहिए। रेलवे भूमि सीमा से 100 फीट तक कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जाये।

2. हवाई सेवा

नगर में वर्तमान हवाई अड्डा नगर के मध्य घने विकसित क्षेत्र में स्थित है। अतः यह स्थल सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। साथ ही यहां पर उपलब्ध स्थल नियमित सेवा एवं बड़े वायुयानों के संचालन हेतु अपर्याप्त हैं। अतः इसकी मूल्यवान भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग कर इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया

जाना आवश्यक है। हवाई अड्डा हेतु शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में राजस्व ग्राम रामपुरिया स्थित सरकारी एवं चारागाह भूमि पर लगभग 750 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.10 परिधि नियन्त्रण पट्टी

नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियन्त्रण के उद्देश्य से 2031 तक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में आने वाली भूमि का उपयोग कृषि, वन विकास एवं इसके सहायक क्रिया कलापों एवं खनन (स्थल की उपयुक्तता के आधार पर) आदि के लिये किया जा सकेगा। इससे परिधि नियन्त्रण पट्टी में आने वाले ग्रामों, जो कि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2031 के बाहर हैं, का विकास नियन्त्रित एवं योजनाबद्ध होगा। नगरीयकरण योग्य सीमा व अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य स्थित सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1,23,560 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में अधिसूचित नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्राम आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र में ग्राम अलनियां में निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय स्थित है।

परिधि नियंत्रण क्षेत्र का उद्देश्य नगर की परिधि पर व सड़कों के किनारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। इस योजना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग एवं उसकी सहायक गतिविधियां, कृषि सेवा केन्द्र, फार्म हाउस, खनन कार्य, मोटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, दूध डेयरी, कुक्कुट शालाएँ, फलोद्यान, पेट्रोल पम्प, गैस एवं अन्य ज्वलन शील पदार्थों के गोदाम, ईट भट्टा व चूना भट्टा एवं जनोपयोगी सुविधाएँ जैसे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल एवं ग्रिड सब स्टेशन इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्रामों को नगरी ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा, ताकि आस-पास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। नगर में स्थित ईट भट्टा को

योजनाबद्ध रूप से परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में उचित स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु चयनित स्थल भी परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में विकसित किये जा सकेंगे।

5.10 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गांवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। गांवों का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढने दिया जायेगा, ताकि व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सके। इस हेतु पंचायत मुख्यालय से 500 मीटर एवं ग्राम पंचायत से 200 मीटर की परिधि में निजी / सरकारी भूमि पर आबादी विस्तार यथा आवासीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ एवं जनोपयोगी सुविधाएँ अनुज्ञेय रहेंगी।

इस सम्बन्ध में यह लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर चिंतन का है कि यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि जनता ग्रामीण आंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध की समस्या उत्पन्न होगी, वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में मानकच्युत एवं यदृच्छ नगरीय विकास को जन्म देगी, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित नगर विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों को नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजना बनाई जायेगी, जिसमें आवश्यक भू-उपयोग को समायोजित किया जायेगा।

परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र में नगर के दक्षिण –पश्चिम में रावतभाटा सड़क पर स्थित रथकाँकरा ग्राम के निकट विकसित नगरीय गतिविधियों के मद्देनजर ग्राम आबादी को विस्तार देते हुए नियमित आकार में विभिन्न नगरीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 398 एकड़ है। इस क्षेत्रफल को परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल की गणना में ही

सम्मिलित किया गया है। कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से 300 एकड़ आवासीय, 9 एकड़ वाणिज्यिक, 8 एकड़ जनोपयोगी सुविधाएँ, 41 एकड़ सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, 7 एकड़ आमोद- प्रमोद तथा 33 एकड़ भूमि परिसंचरण प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। इन भू-उपयोगों के क्षेत्रफल को भू-उपयोग योजना सारणी संख्या-16 की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

5.11 विशेष नगरीय विस्तार केन्द्र

5.11 (1) रानपुर ग्रोथ सेन्टर

रानपुर ग्रोथ सेन्टर को मास्टर प्लान-2031 में पृथक से योजना क्षेत्र माना गया है। ग्राम रानपुर के समीप काफी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है, अतः यह योजना क्षेत्र एक आत्म निर्भर, रोजगारोन्मुखी नियोजित ग्रोथ सेन्टर की तरह विकसित किया जायेगा। नगर के बढ़ते विस्तार एवं आकार को देखते हुए कोटा के दक्षिण में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले आन्तरिक पलायन को नगर के बाहरी क्षेत्रों में स्थान एवं नगरीय सुविधाएँ देने के लिए रानपुर ग्रोथ सेन्टर की परिकल्पना की गयी है। नगर के दक्षिण में नगरीय विस्तार से करीब 5 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग-12 से 2 कि.मी. की दूरी पर रीको द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसमें वर्तमान में कई मध्यम व लघु उद्योग व कृषि आधारित उद्योग स्थित हैं। साथ ही रीको द्वारा एक संस्थानिक क्षेत्र भी विकसित किया गया है, जिसमें 6 अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, दन्त चिकित्सालय महाविद्यालय एवं कई अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। निकट ही भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है। रानपुर में सरकारी भूमि पर नगर विकास न्यास की कई आवासीय एवं संस्थागत योजनाएँ भी विकासरत है। इस योजना क्षेत्र से कुछ दूर ग्राम अलनिया में निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित हुआ है।

नगर के इस भाग में वृहद शैक्षणिक संस्थान जैसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.T.) एवं निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित हैं। इस योजना क्षेत्र में अन्य नगरीय गतिविधियों हेतु वाणिज्यिक, भण्डारण एवं गोदाम, सैटेलाइट अस्पताल, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, बस अड्डा, ट्रक ट्रमिनल एवं

जनोपयोगी सुविधाओं हेतु भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों एवं डेयरी उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी प्रस्तावित किया गया है।

रानपुर को कोटा शहर से जुड़ाव के लिए तीन वैकल्पिक मार्गों का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग-12 से सम्पर्क सड़क, ग्राम बंधा एवं धर्मपुरा सड़क दक्षिणी बाईपास पर स्थित अण्डरपास से होते हुए एवं ग्राम लखावा होते हुए गणेश उद्यान के समीप से शहर में प्रवेश करने वाली सड़क। इन सम्पर्कों को शीघ्र ही पूर्ण तरह विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि रानपुर ग्रोथ सेन्टर नगरीय गतिविधियों एवं कोटा शहर की मुख्य धारा से अलग-थलग ना रहे। रानपुर ग्रोथ सेन्टर में प्रस्तावित भू-उपयोगों को तालिका संख्या 25 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या - 25
प्रस्तावित भू-उपयोग-रानपुर ग्रोथ सेन्टर -2031

क्र. सं.	विवरण	भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का %	नगरीकरण योग्य क्षेत्र का %
1	आवासीय	1,490.00	22.76	22.37
2	वाणिज्यिक	390.00	6.22	5.86
3	औद्योगिक	700.00	11.16	10.51
4	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	115.00	1.83	1.73
5	आमोद-प्रमोद	40.00	0.64	0.60
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	855.00	13.63	12.84
7	हाईवे / अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र	2,120.00	33.80	31.83
8	परिसंचरण	562.00	8.96	8.44
	कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र	6,272.00	100.00	94.18
9	जलाशय	280.00		4.20
10	कृषि एवं पौधशालाएँ	0.00		0.00
11	सरकारी आरक्षित	108.00		1.62
12	राख निस्तारण	0.00		0.00
	नगरीकरण योग्य क्षेत्र	6,660.00		100.00

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान।

5.11 (2) शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर

शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर, मास्टर प्लान-2031 में बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र का एक भाग है। राजस्व ग्राम शम्भूपुरा एवं निकटवर्ती ग्राम रामपुरिया में काफी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है, अतः यह योजना क्षेत्र एक रोजगारोन्मुखी विकास के लिए विकसित किया जायेगा। रामपुरिया स्थित सरकारी भूमि पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी आवासीय योजना विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। नगर के पश्चिमी दिशा में बढ़ते विस्तार एवं आकार को देखते हुए कोटा से बून्दी के मध्य में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से कोटा की ओर होने वाले पलायन को नगर के बाहरी क्षेत्र में स्थान एवं नगरीय सुविधाएँ देने के लिए भी शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर की विकास योजना तैयार की गयी है। कोटा नगर के लिए नये प्रस्तावित हवाई अड्डे के अतिरिक्त नगरीय विकास के सभी भू-उपयोगों जैसे आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के लिए यहाँ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय की संभावनाओं के दृष्टिगत थोक पत्थर व्यवसाय हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। समीप ही भण्डारण एवं गोदाम व औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं ट्रांसपोर्ट नगर हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जो कि उक्त क्षेत्र में आर्थिक अवसर उपलब्ध करायेंगे। तालिका संख्या 26 शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में इन सुविधाओं का वितरण दर्शाती है -

तालिका संख्या - 26
प्रस्तावित भू-उपयोग-शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर -2031

क्र. सं.	विवरण	भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का %	नगरीकरण योग्य क्षेत्र का %
1	आवासीय	1,310.00	28.23	27.09
2	व्यावसायिक	315.00	6.79	6.51
3	औद्योगिक	78.00	1.68	1.61
4	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	49.00	1.06	1.01
5	आमोद-प्रमोद	330.00	7.11	6.83
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	318.00	6.85	6.58
7	हाईवे / अन्य डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र	980.00	21.12	20.27

8	परिसंचरण	1,260.00	27.16	26.06
	कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र	4,640.00	100.00	95.96
9	जलाशय	195.00		4.04
10	कृषि एवं पौधशालाएँ	0.00		0.00
11	सरकारी आरक्षित	0.00		0.00
12	राख निस्तारण	0.00		0.00
	नगरीकरण योग्य क्षेत्र	4,835.00		100.00

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान।

5.12 बाढ़ नियंत्रण

कोटा नगर में दक्षिण से उत्तर की ओर तेज ढलान वाली पठारी भूमि स्थित है। नगर के मध्य से गुजरने वाले प्रमुख नालों के दक्षिण पठार कैचमेन्ट क्षेत्र में वर्षा होने से यह समस्त पानी एक साथ कोटा नगर की ओर आता था। फलस्वरूप कोटा नगर में विकसित हुई नई कॉलोनियों में और औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएँ पैदा हो जाती थी। इस कारण विगत कई वर्षों में काफी जान व माल की हानि हुई।

अतः दक्षिणी पठारी क्षेत्र से कोटा नगर की ओर आने वाले पानी को नियन्त्रित करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बना कर डायवर्जन चैनल का निर्माण किया गया, जो कि ग्राम बंधा एवं धर्मपुरा की दिशा से आने वाले बारिश के पानी को चम्बल नदी की तरफ मोड़ता है। इस प्रथम चरण के डायवर्जन चैनल के निर्माण से विगत 5 वर्षों में कोटा नगर को बाढ़ की विकट समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। डायवर्जन चैनल के द्वितीय चरण का कार्य विकासरत है।

इसी प्रकार अन्य दिशाओं से नगर के ओर आने वाले बारिश के पानी के प्रबंधन हेतु अन्य डायवर्जन चैनल, तालाब संरक्षण, चैक डेम निर्माण, एनिकट निर्माण इत्यादि विकल्पों पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। बाढ़ नियन्त्रण योजना क्रियान्वयन होने के पश्चात् नगर के मध्य स्थित मौजूदा नालों में पानी का फैलाव कम हो जायेगा। इससे नालों के सहारे बेकार पड़ी बहुमूल्य भूमि का विभिन्न नगरीय उपयोगों हेतु उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा इन भूमियों पर अतिक्रमण एवं कच्ची बस्तियों का निर्माण एवं अनियोजित वाणिज्यिक विकास

इत्यादि विकसित होने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही बाढ़ के दौरान इन क्षेत्रों में जानमाल की हानि की भी आशंका बनी रहती है।

5.13 क्षेत्रीय विकास

कोटा नगर के सही मायने में विकास के लिये इसके प्रभाव क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। उक्त विकास को दिशा प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके लिये विभिन्न संसाधनों एवं क्षमताओं का अध्ययन कर क्षेत्रीय सड़क, रेल एवं हवाई सम्पर्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। पदानुक्रम में कस्बों व गांवों की पहचान कर विभिन्न स्तर की सुविधाएँ विकसित की जाना प्रस्तावित है। लघु एवं मध्यम स्तर के कस्बों को सैटेलाइट विकास केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ताकि नगर में आस-पास के क्षेत्रों से होने वाले आंतरिक पलायन पर अंकुश लगे। इन कस्बों / ग्रामों में नगर स्तरीय सुविधाओं का विकास किया जाना एवं आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।